

तारीख
हुकम

उभयपक्षी
हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

पत्रावली

दिनांक - 42/2025

15-5-25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 3-6-25 को पेश हो।

3-6-25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 7-7-25 को पेश हो।

7-7-25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21-7-25 को पेश हो।

21-7-25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 4-8-25 को पेश हो।

30/08/2025
पक्षकारान्
20/08/2025
42/25

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र आशय का पेश किया कि पक्षकारान् ने आपस में मिल सामाजिक स्तर पर राजीनामा कर विवाद का आपसी सहमति से समझौता कर लिये जाने से प्रार्थीगण उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील



मुख्य हुक्म

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

उ मिला

बनाम कल्याण/रज्जु

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्र. पत्र

क्र. नं. - 43/2017

अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेशकर अवगत कराया कि प्रार्थीया द्वारा बिना राजीनामा पेश किये ही अपना वाद/प्रार्थना पत्र टी. आई. विद्वा किया जा रहा है। उक्त वाद/प्रार्थना पत्र टी. आई. बिना राजीनामा का आधार मानते हुए वाद/प्रार्थना पत्र टी. आई. विद्वा करती है तो इसके लिए अप्रार्थी/प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं होने बाबत अवगत कराया है।

अतः वकील प्रार्थीगण के निवेदन व वकील अप्रार्थीगण की बिना राजीनामा के आधार पर सहमति पर उक्त वाद पत्र/प्रार्थना पत्र टी. आई. को इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)